न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरएएएस0

प्रकरण संख्या–70 / 2018

उनवानः–

ओमवती पत्नि लौहरे राम जाति लोधा निवासी ग्राम भैसाख तहसील व जिला धौलपुर

वादीया

बनाम

1. अजमेर सिंह ।
2. शिव सिंह । पुत्रगण उदयराम अकवाम लोधा निवासी ग्राम ढोडेका पुरा मनियां
3. प्रेमसिंह ।
4. कंचन सिंह ।
5. मेघ सिंह ।
6. मीरा पुत्री उदयराम । अकवाम लोधा निवासी ग्राम ढोडेका पुरा मनियां
7. रामबेटी पत्नि फूलसिंह ।
8. हेम सिंह ।
9. जसवन्त । पुत्रगण फूलसिंह
10. राकेश । अकवाम लोधा निवासी ग्राम ढोडेका पुरा मनियां
11. जगन्नाथ ।
12. निरोती ।
13. मुलिया पत्नि सुम्मेरा पुत्री विरधा जाति लोधा निवासी भूरा कापुरा सैंपऊ
14. पुनिया पुत्र विरधा पत्नि ठाकुरप्रसाद जाति लोधा निवासी ढोडे का पुरा मनियां

——————————तरतीवी प्रतिवादीगण

15. रामरती पुत्री दिवारीलाल ।
16. लाखन पुत्र गोकुल सिंह । अकवाम लोधा निवासी ग्राम भैसाख धौलपुर
17. महेश पुत्र गोकुल सिंह ।
18. जितेन्द्र पुत्र गोकुल सिंह ।
19. प्रागदेई पत्नि गोकुल सिंह लोधा निवासी जारों
20. सरस्वती । ।
21. हरदेई । पुत्रियान । अकवाम लोधा निवासी ग्राम भैसाख धौलपुर
22. अंगूरी । हरदेई ।
23. बादामी पत्नि केशोराम ।
24. महाराज सिंह पुत्र चुन्नी ।
25. परिमाल। पुत्रगण ।
26. सरनाम। दिमान सिंह ।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां

——————————तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

दावा इस्त0 हक हुक्म इम्तनाई दवामी व
दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – 1. श्री नेमीचन्द रावत ऐडवोकेट वादी की ओर से

दिनांक 10.02.2025

निर्णय

वादी की ओर से दावा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 227 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम खरगपुर जाटौली तहसील धौलपुर प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी है। विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 की माता स्व. रामश्री एंव प्रतिवादी नं. 13 व 14 प्रत्येक 1/7–1/7 भाग की खातेदार काश्तकार थी और शेष रकवे में तरतीवी प्रतिवादीगण हिस्सेदार है। उक्त प्रकरण में स्व. रामश्री मुलिया एंव पुनिया का 1/7 – 1/7 हिस्सा विवाद ग्रस्त है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 12 की मॉ स्व0 रामश्री व प्रतिवादी न. 13 व 14 ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवादित आराजी में निहित अपने 1/7 –1/7 भाग को जरिये रजि0 पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 13.10.2005 को वादीया के हक में विक्रय कर दिया और विक्रय पत्र के दिनांक से लेकर आज तक वादिया उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर कास्त करती चली आ रही है। विक्रय पत्र करने के बाद वादिया विवादित आराजी पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के कास्त करती चली आ रही थी और आज भी फसल का लाभ प्राप्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 चालाक व्यक्ति है। और उन्होने रामश्री के निधन के बाद वादीया की बैक पर स्व. रामश्री के 1/7 भाग पर विरासत का नामान्तरकरण खुलवा लिया है जो गलत है क्योकि स्व. रामश्री दिनांक 13.10.2005 के विक्रय पत्र के आधार पर अपने समस्त विवादित आराजी में निहित 1/7 भाग को वादिया को हस्तान्तरण कर चुकी है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 के हक में हुए इन्द्राजों से वादीया के अधिकार समाप्त नही होते है। और प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते। वादिया उक्त इन्द्राजो को दुरूस्त कराने की अधिकारी है। दिनांक 13.10.2005 के विक्रय पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 13 व 14 भी अपने हकूक खातेदारी वादीया को हस्तान्तरित कर चुकी है इसलिए उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी नं 13 व 14 को भी कोई हक, हित एंव हिस्सा नही है। वादीया अपने नाम इन्द्राज कराने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण गलत इन्द्राजो की आड में विवादित आराजी को हडपना चाहते है और वादीया की उक्त आराजी पर झगडा करते है और कास्त करने में व्यवधान पैदा करते है। वादीया गांव की अनपढ महिला है वादिया ने दिनांक 13.10.2005 को अपने हक में वयनामा हुआ था उसको पटवारी हल्का को अपने नाम इन्द्राज कराने के लिए दे दिया था लेकिन पटवारी हल्का ने प्रतिवादी गण से साज कर उक्त का नामान्तरण वादीया के नाम नही खोला और प्रतिवादीगण से साज कर विवादित आराजी का प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 के पक्ष में खोल दिया जो गलत है। अर्सा करीब 8 माह पूर्व वादीया विवादित आराजी पर आई तो प्रतिवादीगण आये और वादीया से कहा कि अब हम वादीया को कास्त नही करने देगे क्योकि रामश्री के निधन के बाद पटवारी हल्का एंव राजस्व कर्मचारियों से

उपखण्डाधिकारी

मिलकर विवादित आराजी पर अपने नाम इन्द्राज करा लिए है। तब वादिया को उक्त इन्द्राजो की जानकारी हुई। वादीया ने प्रतिवादीगण से उक्त इन्द्राजों को दुरूस्त कराने के लिए निवेदन किया तो सभी प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 वादीया को मारने पर आमादा हो गए और वादीया के अधिकारों से इन्कारी हो गए। अतः दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की ओर से श्री सर्वेश मिश्रा एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 26 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को जवाब दावा हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उनकी ओर से जवाब दावा पेश नही किया जाने पर उनका जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। तत्पश्चात् उनकी ओर से किसी के उपस्थित नही आने के कारण दिनांक 29.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में बतौर साक्ष्य नकल जमाबंदी ग्राम खरगपुरा सं. 2073–2076 खाता संख्या 34 प्रदर्स–1 एंव मूल वयनामा पंजीयन दिनांक 09.11.2005 प्रदर्स–2 पेश किया। शपथ पत्र बावत मुख्य परीक्षण वादीया ओमवती एंव लोहरे पुत्र सरवन उम्र 54 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम भैसाख तहसील व जिला धौलुपर पेश किया तथा उनके बयान क्रमशः पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 दर्ज कराए गए।

वादीया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादीया ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 की माता स्व. रामश्री एंव प्रतिवादी नं. 13 व 14 प्रत्येक 1/7–1/7 भाग की खातेदार काश्तकार थी और शेष रकवे में तरतीवी प्रतिवादीगण हिस्सेदार है। उक्त प्रकरण में स्व. रामश्री मुलिया एंव पुनिया का 1/7 – 1/7 हिस्सा विवाद ग्रस्त है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 12 की मॉ स्व0 रामश्री व प्रतिवादी न. 13 व 14 ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवादित आराजी में निहित अपने 1/7 –1/7 भाग को जरिये रजि0 पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 13.10.2005 को वादीया के हक में विक्रय कर दिया और विक्रय पत्र के दिनांक से लेकर आज तक वादिया उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर कास्त करती चली आ रही है। विक्रय पत्र करने के बाद वादिया विवादित आराजी पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के कास्त करती चली आ रही थी और आज भी फसल का लाभ प्राप्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 चालाक व्यक्ति है। और उन्होने रामश्री के निधन के बाद वादीया की बैक पर स्व. रामश्री के 1/7 भाग पर विरासत का नामान्तरकरण खुलवा लिया है जो गलत है क्योकि स्व. रामश्री दिनांक 13.10.2005 के विक्रय पत्र के आधार पर अपने समस्त विवादित आराजी में निहित 1/7 भाग को वादिया को हस्तान्तरण कर चुकी है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 के हक में हुए इन्द्राजों से वादीया के अधिकार समाप्त नही होते है। और प्रतिवादी नं. 1 लगायत 12 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते। वादिया उक्त इन्द्राजो को दुरूस्त कराने की अधिकारी है। दिनांक 13.10.2005 के विक्रय पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 13 व 14 भी अपने हकूक खातेदारी वादीया को हस्तान्तरित कर चुकी है इसलिए उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी नं 13 व 14

न्यायालय उपखण्ड ...

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

को भी कोई हक, हित एंव हिस्सा नही है। वादीया अपने नाम इन्द्राज कराने की अधिकारी है। अतः दावा वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया को मुताबिक वयनामा तारीखी 13.10.2005 के आधार पर विवादित आराजी ख.नं. 227 वाके ग्राम खरगपुर में 3/7 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 का नाम कलमजद किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076 – 2079 ग्राम खरगपुर प्रदर्स–1 अनुसार आ.ख.नं. 227 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा ग्राम खरगपुर तहसील धौलपुर में वादीया ओमवती का नाम दर्ज रिकॉर्ड नही है। मुताबिक जमाबन्दी आ.ख.नं. 227 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का जरिये नामा0 सं0 398 दिनांक 05.02.2018 से रामश्री हि. 1/7 से विरासतन दर्ज हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 13 मुलिया एंव प्रतिवादी संख्या 14 पुनिया का हिस्सा 1/7 – 1/7 दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की माता स्व0 रामश्री पुत्री विरधा, प्रतिवादी संख्या 13 मुलिया एंव प्रतिवादी संख्या 14 पुनियां का 1/7 –1/7 हिस्सा जरिये वयनामा क्रय किया जाना कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध बयनामा प्रदर्स–2 से होती है। प्रतिवादीगण द्वारा दावा को कन्टेस्ट नही किया गया है। अतः वादीया मुताबिक दस्तावेजी साक्ष्य एंव मौखिक साक्ष्य अपना दावा सिद्ध करने में सफल हुई है।

अतः दावा वादीया अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 227 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा बाके ग्राम खरगपुर तहसील धौलपुर से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 का नाम कलमजद किया जाकर उनके स्थान पर वादीया ओमवती पत्नि ल्होरेराम जाति लोधा निवासी भैसाख तहसील व जिला धौलपुर हिस्सा 3/7 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजद किये जाकर वादिया का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)